पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता : राजस्थान परिदृश्य

[1]डॉ. विनीता पुरोहित

शोध सारांश

किसी भी क्षेत्र का विकास स्थानीय समस्याओं तथा संसाधनों की समझ के आधार पर ही किया जा सकता है। स्थानीय समस्याओं तथा संसाधनों की बहेतर समझ स्थानीय नागरिकों को अधिक होती है। अतः स्थानीय विकास के लिए स्थानीय नागरिकों की विकास प्रकिया में भुमिका अपेक्षित होती है। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय सार्वजनिक कार्यों से सम्बन्धित प्रशासन में जनता की सहभागिता की एक व्यवस्था है। भारतीय सन्दर्भ में यह एक ऐसी स्थानीय स्वशासी राजनीतिक व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा अपने सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास का दायित्व वहन किया जाता है। ये संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर नागरिकों की राजनैतिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनको राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति में सहभागिता प्रदान करती है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर स्थानीय विकास में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला सहभागिता अध्ययन का एक प्रमुख क्षेत्र है।

मूल शब्द: पंचायती राज, राजनीतिक सहभागिता, महिला सहभागिता ।

---

[1]Corresponding Author

सहायक आचार्य , राजनीति विज्ञान, एपेक्स युर्निवसिटी, जयपुर

प्रस्तावना

पंचायती राज व्यवस्था लोकतान्त्रिक पद्धति का मूल आधार है। गाँवों को उचित ढंग से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य पंचायती व्यवस्था के माध्यम से ही संभव है। अतः स्थानीय स्तर विशेष रूप से ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। विभिन्न कालों में इस

व्यवस्था को अलग-अलग नाम से जाना जाता था। कभी गणराज्य, कभी नगर शासन व्यवस्था लेकिन इन व्यवस्थाओं में एक दूसरे के साथ रहने, मिल-जुल कर काम करने की प्रवृत्ति निरन्तर विकसित होती रही। इन व्यवस्थाओं का मूल मंत्र आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बन रहा है।[1] महात्मा गाँधी की 'ग्राम स्वराज्य की परिकल्पनानुसार'' आत्मनिर्भर गांव को राष्ट्रीय ढांचे की इकाई माना जाये।'' गाँवों को उचित ढंग से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही संभव है।[2]

पंचायतीराज स्थानीय सार्वजनिक कार्यों से सम्बन्धित प्रशासन में जनता की सहभागिता की एक व्यवस्था है। भारतीय सन्दर्भ में यह एक ऐसी स्थानीय स्वशासी राज व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा अपने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास का दायित्व वहन किया जाता है। पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्र में लोककल्याणकारी प्रशासन की आधारभूत इकाई है। ये संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर नागरिकों की राजनैतिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनको राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति में सहभागिता प्रदान करती है। राजनीतिक सहभागिता प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य शर्त है। जन सामान्य की राजनीतिक सहभागिता के बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन असंभव है। भारत जैसे विस्तृत एवं विविधतापूर्ण राष्ट्र में राजनीति सहभागिता के एक समान प्रतिमान को कठोरता से लागू करना संभव नहीं था। अतः स्थानीय स्तर विशेष रूप से ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। वर्तमान में महिला राजनीतिक सहभागिता के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं में महिला राजनीतिक सहभागिता अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र बन गया है।

राजनीतिक सहभागिता

राजनीतिक सहभागिता से अभिप्राय उन स्वैच्छिक क्रियाओं से है, जिनके द्वारा किसी समाज के सदस्य शासकों के चयन एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जन-नीतियों के निर्माण में भाग लेते हैं। नीई तथा वर्बा के अनुसार राजनीतिक सहभागिता सामान्य व्यक्तियों की वे विधि सम्मत गतिविधियाँ हैं, जिनका उद्देश्य राजनीतिक पदाधिकारियों के चयन तथा उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है। अन्य शब्दों में राजनीतिक सहभागिता व्यक्ति की ऐसी राजनीतिक क्रिया है, जिसमें राजनीतिक सत्ता पर कारको का चयन व उनकी निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है।[3]

राजनैतिक गतिविधि में व्यक्ति प्रमुख होता है,[4] क्योंकि व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार ही राजनीतिक संस्थाओं के विकास को निर्धारित करता है। व्यक्ति की राजनीतिक क्रियाशीलता लोकतांत्रिक संस्थाओं को पोषित करती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता का विशेष महत्व इस कारण होता है, क्योंकि अधिकांश राजनैतिक संस्थाओं के निर्माण एवं संचालन का कार्य नागरिकों द्वारा किया जाता है। नागरिक राजनैतिक पदधारकों का चयन करते हैं और राजनैतिक पदों को धारण कर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। भारतीय संविधान स्थानीय संस्थाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की संस्थाओं में नागरिकों की सहभागिता के प्रचुर अवसर प्रदान करता है। यद्यपि भारतीय महिलाओं को नागरिक के रूप में संवैधानिक आधार पर ये अवसर प्रारम्भ से ही प्राप्त है, किन्तु राजनैतिक निर्णयकारिता में महिलाओं की सहभागिता स्वतंत्रता के 70 दशक के बाद भी उल्लेखनीय रूप से नहीं हो पाई है।[5] भारतीय समाज के राजनीतिक पटल पर महिलाएं आज भी उपेक्षित है। राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा अर्थात लोकसभा में महिला नेतृत्व मात्र 14 प्रतिशत (78) तथा राजस्थान प्रदेश विधानसभा में महिला नेतृत्व मात्र 12.5 प्रतिशत (25) है।[6] जो राजनीति में महिला सहभागिता की उपेक्षित स्थिति को इंगित करता है।

महिला सहभागिता एवं 73 वां संवैधानिक संशोधन विधेयक

पंचायती राज के सन्दर्भ में महिला नेतृत्व एक नवीन आयाम है। ग्रामीण स्तर पर महिला नेतृत्व को उभारने में 73वें संवैधानिक संशोधन विधेयक का विशेष योगदान है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक जीवन में बुनियादी परिवर्तन आया है। समाज में महिलाओं और कमजोर वर्गों में नेतृत्व उभरने लगा है।[7] 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार कम से कम एक तिहाई महिलाएँ सभी स्थानीय स्वशासकीय निकायों तथा पंचायतों के स्तर पर निर्वाचित होगी, जिसमें पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद) सभी स्तर शामिल है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। किसी पंचायती राज संस्था में जितने सदस्य इस वर्ग से होंगे, उनका एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। उदाहरण के लिये यदि किसी पंचायत में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 9 है तो 3 स्थान इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, लेकिन ये आरक्षित पद महिलाओं के कुल आरक्षित पदों में सम्मिलित माने जायेंगे।[8] अन्य शब्दों में 73वां संविधान संशोधन (1993) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये सींटे आरक्षित होगी। यह सीटें पंचायत में उनकी जनसंख्या के

अनुपात में निर्धारित की जायेगी। ये सीट एक पंचायत में पदानुक्रम से विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित की जायेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में कम से कम एक तिहाई स्थान अनुसूचित जाति-जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से न्यूनतम एवं तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। ये सीटें पदानुक्रम से एक पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षित की जायेगी।[9] इस प्रकार यह संशोधित विधेयक पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर सत्ता में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करता है।

पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता : राजस्थान परिदृश्य

भारतीय संविधान के 72वें संशोधन अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाकर 23 अप्रैल, 1994 में सम्पूर्ण राजस्थान में प्रभावशील कर त्रि-स्तीय पंचायतराज व्यवस्था स्थापित की गई।[10] इस अधिनियम में प्रत्येक पंचायत सर्किल (लगभग 3000 जनसंख्या) पर एक ग्राम पंचायत का प्रावधान है, जिसका गठन पंचायत क्षेत्र में मतदाता सीधे निर्वाचन द्वारा करते हैं। सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा वार्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक पंच का निर्वाचन होता है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सदस्यता का प्रावधान है। पिछड़ी जातियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित होते हैं। कुल के एक तिहाई स्थान महिलाओं (अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की महिलाओं को शामिल करते हुए) के लिए आरक्षित होते हैं। सरपंच पद को क्रमावर्तन से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है।[11]

अधिनियम में एक विकास खण्ड के लिए पंचायती राज के मध्य स्तर के रूप में एक पंचायत समिति का प्रावधान है जिसके गठन हेतु सदस्यों का निर्वाचन खण्ड क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। कुल के एक तिहाई स्थान महिलाओं (अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की महिलाओं का शामिल करते हुए) के लिए आरक्षित होते हैं। पंचायत समिति के प्रावधानों के पद क्रमावर्तन से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं।[12] प्रत्येक जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था के रूप में एक जिला परिषद का प्रावधान है। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति की तरह ही जिला परिषद में भी अनुसूचित जातियों, जन-जातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। सम्पूर्ण

राज्य में जिला प्रमुखों के जितने स्थान हैए वे क्रमावर्तन से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित होते हैं।[13] इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद) पर महिला सहभागिता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 अति महत्वपूर्ण है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता ना सिर्फ उनकी राजनीतिक सहभागिता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुनिश्चित करती है बल्कि उनके विकास संबंधी उद्देश्यों को भी कार्यान्वित करती है। [14]

पंचायतों में महिला मतदाता

पंचायत आम चुनाव 1995 में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 22,574 रही, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 11876 तथा महिला मतदाओं की संख्या 10698 रही। पंचायत आम चुनाव 2000 में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 24,643 रही, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 12,929 तथा महिला मतदाओं की संख्या 11,714 रही। पंचायत आम चुनाव 2005 में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 28,181 रही, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 14,730 तथा महिला मतदाओं की संख्या 13,451 रही। पंचायत आम चुनाव 2010 में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 29,226 रही, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 15,330 तथा महिला मतदाओं की संख्या 13,896 रही। पंचायत आम चुनाव 2015 में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 33,133 रही, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 17,365 तथा महिला मतदाओं की संख्या 15,767 रही।[15]

पंचायतों में महिला आरक्षण

वर्ष 2008 में गहलोत सरकार द्वारा पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। जिस पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में रोक लगा दी और 19 मई 2000 को सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया। इसके बाद नगरपालिका चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया लेकिन पंचायतीराज विभाग ने पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन नहीं किया और कोर्ट के आदेश के बावजूद महिलाओं कों पंचायती राज निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।[16]

प्रदेश के 33 जिलों की कुल 9875 ग्राम पंचायतों में से महिला आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 4780 रही। जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 2412, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए

810, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 912 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 646 रही। [17]

पंचायती राज चुनाव 2015

वर्गवार निर्वाचित महिला सरपंच

क्र. सं.	जिला	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि. वर्ग	योग
1.	अजमेर	273	34	21	3	72	130
2.	अलवर	512	38	50	29	146	263
3.	बांसवाड़ा	346	0	1	186	0	187
4.	बारां	221	27	18	33	32	110
5.	बाड़मेर	489	64	49	13	122	248
6.	भरतपुर	374	18	39	7	137	201
7.	भीलवाड़ा	381	58	33	18	78	187
8.	बीकानेर	290	44	35	0	68	147
9.	बूंदी	183	16	20	27	28	91
10.	चित्तौडगढ़	291	43	22	20	59	144
11.	चूरू	254	32	36	1	63	132
12.	दौसा	234	9	26	64	19	118
13.	धौलपुर	171	23	18	8	38	87
14.	डूंगरपुर	291	0	2	154	0	156
15.	गंगानगर	336	17	69	0	82	168

16.	हनुमानगढ़	251	9	40	0	76	125
17.	जयपुर	530	55	44	47	119	265
18.	जैसलमेर	140	30	12	4	29	75
19.	जालोर	273	58	27	10	43	138
20.	झालावाड़	251	28	22	20	57	127
21.	झुंझुंनू	301	21	26	2	106	155
22.	जोधपुर	466	82	36	4	111	233
23.	करौली	227	4	34	52	25	115
24.	कोटा	155	16	20	18	24	78
25.	नागौर	467	60	54	0	135	249
26.	पाली	321	57	31	12	62	162
27.	प्रतापगढ़	165	3	1	78	2	84
28.	राजसमंद	203	30	13	16	44	103
29.	सवाई माधोपुर	199	12	22	46	23	103
30.	सीकर	343	30	28	6	115	179
31.	सिरोही	162	24	15	33	10	82
32.	टोंक	230	21	24	22	49	116
33.	उदयपुर	545	33	10	215	27	285
	योग	**9875**	**996**	**898**	**1148**	**2001**	**5043**

स्रोत-पंचायत जरनल इलेक्शन 2015, सेक्स ऐंड केटगरी वॉयज इलेक्टेड सरपंच (डिस्ट्रीक वाइज) पृष्ठ-13, रिपोर्ट ऑन पंचायत जनरल इलेक्शन 2015 (राजस्थान) वॉल्यूम-ण्ण् (ग्राम पंचायत) स्टेट इलेक्शन कमिशन, राजस्थान, जयपुर

पंचायत आम चुनाव 2015 में राजस्थान प्रदेश के 33 जिलों की कुल 9875 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित 9875 सरपंचों में से महिला सरपंचों की संख्या 5,043 रही। जिसमें सामान्य वर्ग से 996, अनुसूचित जाति से 898, अनुसूचित जनजाति से 1148 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 2001 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। यदि प्रदेश के प्रत्येक जिले में वर्गानुसार निर्वाचित महिला सरपंचों की स्थिति का अध्ययन किया जाये तो ज्ञात होता है कि अजमेर जिले की 273 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों (273) में महिला सरपंचों की संख्या 130 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 34, अनुसूचित जाति से 21, अनुसूचित जनजाति से 3 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 72 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। अलवर जिले की 512 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 263 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 38, अनुसूचित जाति से 50, अनुसूचित जनजाति से 29 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 146 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। बांसवाड़ा जिले की 346 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 187 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से शून्य, अनुसूचित जाति से एक, अनुसूचित जनजाति से 186 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से शून्य महिला सरपंच निर्वाचित हुई। बारां जिले की 221 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 110 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 27, अनुसूचित जाति से 18, अनुसूचित जनजाति से 33 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 32 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। बाड़मेर जिले की 489 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 248 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 64, अनुसूचित जाति से 49, अनुसूचित जनजाति से 13 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 122 महिला सरपंच निर्वाचित हुई।

भरतपुर जिले की कुल 374 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 201 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 18, अनुसूचित जाति से 39, अनुसूचित जनजाति से 7 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 137 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। भीलवाड़ा जिले की 381 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 187 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 58, अनुसूचित जाति से 33, अनुसूचित जनजाति से 18 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 78 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। बीकानेर जिले की 290 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 147 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 44, अनुसूचित जाति से 35, अनुसूचित जनजाति से शून्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 68 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। बूंदी जिले की 183 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 91 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 16, अनुसूचित जाति से 20, अनुसूचित जनजाति से 27 तथ अन्य पिछड़ा वर्ग से 28 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। चित्तौडगढ़ जिले की 291 ग्राम

पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 144 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 43, अनुसूचित जाति से 22, अनुसूचित जनजाति से 20 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 59 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। चूरू जिले की 254 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 132, रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 32, अनुसूचित जाति से 36, अनुसूचित जनजाति से एक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 63 रही।

दौसा जिले की 234 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 118 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 9, अनुसूचित जाति से 26, अनुसूचित जनजाति से 64 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित सरपंचों की संख्या 19 रही। धौलपुर जिले की 171 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 87 रही, जिसमें सामान्यच वर्ग 23, अनुसूचित जाति से 18, अनुसूचित जनजाति से 8 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 38 रही। डूंगरपुर जिले की 291 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 156 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से शून्य, अनुसूचित जाति से 2, अनुसूचित जनजाति से 154 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या शून्य रही। गंगानगर जिले की 336 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 168 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 17, अनुसूचित जाति से 69, अनुसूचित जनजाति से शून्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 82 रही। हनुमानगढ़ जिले की 251 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 125 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 9, अनुसूचित जाति से 40, अनुसूचित जनजाति से शून्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 125 रही। जयपुर जिले की 530 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 265 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 55, अनुसूचित जाति से 44, अनुसूचित जनजाति से 47 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 119

जैसलमेर जिले की 140 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 75 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 30, अनुसूचित जाति से 12, अनुसूचित जनजाति से 4 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 29 रही। जालोर जिले की 273 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 138 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 58, अनुसूचित जाति से 27, अनुसूचित जनजाति से 10 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 43 रही। झालावाड़ जिले की 251 ग्राम पंचायतों में

निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 127 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 28, अनुसूचित जाति से 22, अनुसूचित जनजाति से 20 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 57 रही। झुन्झुनू जिले की 301 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 155 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 21, अनुसूचित जाति से 26, अनुसूचित जनजाति से 2 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 106 रही।

जोधपुर जिले की 466 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 233 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 82, अनुसूचित जाति से 36, अनुसूचित जनजाति से 4 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 111 रही। करौली जिले की 227 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 115 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 4, अनुसूचित जाति से 34, अनुसूचित जनजाति से 52 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 25 रही। कोटा जिले की 155 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 78 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 16, अनुसूचित जाति से 20, अनुसूचित जनजाति से 18 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 24 रही। नागौर जिले की 467 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 249 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 60, अनुसूचित जाति से 54, अनुसूचित जनजाति से शून्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 135 रही। पाली जिले की 321 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 162 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 57, अनुसूचित जाति से 31, अनुसूचित जनजाति से 12 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 62 रही। प्रतापगढ़ जिले की 165 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 84 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 3, अनुसूचित जाति से 1, अनुसूचित जनजाति से 78 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 2 रही।

राजसमन्द जिले की 203 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 103 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 30, अनुसूचित जाति से 13, अनुसूचित जनजाति से 16 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 44 रही। सवाई माधोपुर जिले की 199 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 103 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 12, अनुसूचित जाति से 22, अनुसूचित जनजाति से 46 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 23 रही। सीकर जिले की 343 ग्राम पंचायतों

में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 179 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 30, अनुसूचित जाति से 28, अनुसूचित जनजाति से 6 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 115 रही। सिरोही जिले की 162 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 82 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 24, अनुसूचित जाति से 15, अनुसूचित जनजाति से 33 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 10 रही। टोंक जिले की 230 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 116 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 21, अनुसूचित जाति से 24, अनुसूचित जनजाति से 22 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 49 रही। उदयपुर जिले की 545 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 285 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 33, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 215 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 27 रही।[18]

निष्कर्ष

महिलाएं अपनी स्थानीयता से अधिक प्रभावित होती है। राजनीति में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व महिला सशक्तिकरण को इतना प्रभावित नहीं कर पाया है, जितना अपेक्षित था। अतः संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व को सुनिश्चित करने के लिए पंचायतीराज के प्रत्येक स्तर के कुल स्थानों में एक तिहाई स्थानों पर महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई। पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण की व्यवस्था मात्र एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की परिकल्पना को पूर्ण करने का स्थानीय प्रयास है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला सहभागिता में संख्यात्मक वृद्धि के साथ गुणात्मक वृद्धि भी हुई है। अब महिला प्रतिनिधि औपचारिक प्रतिनिधि नहीं है बल्कि वे अपने दायित्वों का सफल निर्वहन कर रही है।

सन्दर्भ सूची

1. राजकुमारी सुराणा, भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और नव पंचायती राज, राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2000, पृष्ठ 40
2. हरिजन सेवक समाचार पत्र, 2 अगस्त 1942
3. शैलेन्द्र मौर्य, तेरहवीं राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2008 में महिला सहभागिता, लोकतंत्र

समीक्षा, खण्ड-43, अंक-1-2, जनवरी - जून 2011, पृ. 59-60

4. कुसुम कुशवाहा, राजनैतिक सहभागिता- महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम, योजना, वर्ष 47, अंक12, मार्च 2004, योजना भवन, नई दिल्ली, पृ. 17
5. कुसुम कुशवाहा, नोट-2, पृ. 17-18
6. 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 78 है तथा 15वीं राजस्थान विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 25 है।
7. सुनील महावर एवं शैलेन्द्र मौर्य, पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व का जातिगत विश्लेषण, पी.सी. माथुर एवं रविन्द्र शर्मा (संपा) भारत में पंचायती राज निर्वाचन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2013, पृ. 275
8. आशा व्यास, पंचायती राज में महिलाएँ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2012, पृ. 40
9. पूरणमल, नवीन पंचायती राज एवं महिला नेतृत्व, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2020, पृ. 19
10. पूरणमल, नोट-7, पृ. 23
11. निरंजन मिश्र, भारत में पंचायती राज, परिबोध, जयपुर, 2006, पृ. 233

12 निरंजन मिश्र, नोट-9, पृ. 236

13. निरंजन मिश्र, नोट 9, पृ. 238-239
14. आशा व्यास, नोट-6, पृ. 40-41
15. सम्मरी ऑफ डाटा, टेबिल-1, इलेक्टोरेट एण्ड पोलिंग बूथ्स, रिपोर्ट ऑन पंचायत जनरल इलेक्शन 2015 (राजस्थान) वाल्यूम-प्प्ए (ग्राम पंचायत) स्टेट इलेक्शन कमिशन, राजस्थान, जयपुर, पृष्ठ-1
16. लोकेश प्रसाद आनन्द, महिलाओं को 33 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत ..... 27 जनवरी, 2015, दैनिक भास्कर, ूण्ईींतण्बवउ
17. डिस्टीक वाइज स्टेटमेन्ट सोइंग कैटेगरी ऑफ पंचायत, रिपोर्ट ऑन पंचायत जनरल इलेक्शन 2015 (राजस्थान) वाल्यूम-प्प्ए (ग्राम पंचायत) स्टेट इलेक्शन कमिशन, राजस्थान, जयपुर,

पृष्ठ-3

18. सेक्स एण्ड कैटेगरी वाइज इलेक्टेड सरपंच (डिस्टीक वाईज) रिपोर्ट ऑन पंचायत जनरल इलेक्शन 2015 (राजस्थान) वाल्यूम-प्प्ए (ग्राम पंचायत) स्टेट इलेक्शन कमिशन, राजस्थान, जयपुर, पृष्ठ-13

19. नोट - 18, पृष्ठ-19